फाइल नं0-71-3099/6/2021-03

128/2024/I/803114/2024

प्रेषक,

चन्द्रशेखर मिश्र**,**
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 22 नवम्बर, 2024**

विषय-: वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में 50 बेडेड ट्रामा सेन्टर लेवल-2 (इमरजेन्सी मेडिसिन 60 बेडेड विभागयुक्त) के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एम0ई0/निर्माण/2024-25/253, दिनांक 17.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में 50 बेडेड ट्रामा सेन्टर लेवल-2 (इमरजेन्सी मेडिसिन 60 बेडेड विभागयुक्त) के भवन निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 3310.53 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में **रू0 110.81** लाख की धनराशि शासनादेश संख्या- 27/2023/I/281925/2023-71-3002(002)/4/2022-03, दिनॉक 28.02.2023 द्वारा अवमुक्त की गई है। तदोपरान्त प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश संख्या-55/2024/I/526527/2024-71-3002(002)/4/2022-03, दिनॉक 21.03.2024 द्वारा रू0 100.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-81/2024/I/705035/2024-71-3002(002)/4/2022-03, दिनॉक 30.07.2024 द्वारा रू0 250.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू0 460.81 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में 50 बेडेड ट्रामा सेन्टर लेवल-2 (इमरजेन्सी मेडिसिन 60 बेडेड विभागयुक्त) के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूँजीलेखा पक्ष में ''लेखाशीर्षक-4210-03-105-80'' के मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष **रू0 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
3. प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित कार्य की दुरावृत्ति न हो रही हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा तथा उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. शासनादेश संख्या-27/2023/I/281925/2023-71-3002(002)/4/2022-03, दिनॉक 28.02.2023 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 42100310580 मेडिकल कालेज, अयोध्या मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्रशेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, अयोध्या।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अयोध्या।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।